पटना में उच्च न्यायालय में

2021 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 734

थाना कांड संख्या-756 वर्ष-2016 थाना-भोजपुर शिकायत मामला जिला-भोजपुर

==========

पुनित अग्रवाल उर्फ पुनीत अग्रवाल, पुत्र इंदुभूषण दास अग्रवाल उर्फ अरूप अग्रवाल उर्फ इंदुभूषण अग्रवाल निवासी- जे-13/93, ई-1, प्लॉट नंबर 11, कॉटन मिल कॉलोनी, थाना- चौका घाट, वाराणसी, जिला-वाराणसी (उ.प्र.)। फर्म अशोक ऑटो सर्विस, एस-11/6/डीटी रोड पानी टंकी, चौका घाट, वाराणसी (उ.प्र.)।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

अंकिता जैन उर्फ अंकिता कुमारी, पुत्री दीपक कुमार जैन, निवासी ग्राम- महाजन टोली नंबर-1, आरा, थाना- आरा टाउन, जिला- भोजपुर

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/गण के लिए : श्री. एन. के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्री गोपाल गोविंद मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए : श्री

==========

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम , 2005 - धारा 29 - आवेदन की तिथि तक दोनों पक्षों के बीच घरेलू संबंध थे - विरोधी पक्ष संख्या 2 मौद्रिक राहत सहायता पाने की हकदार है जब तक पक्षों के बीच घरेलू संबंध थे - याचिकाकर्त्ता का यह दायित्व है कि वह आंतरिक

मौद्रिक राहत/सहायता अपने बच्चों को दे जो कि विचारण न्यायालय के द्वारा तय किया गया है - पुनरीक्षण याचिका का निपटान किया कुछ आदेश के साथ।

(पारा 14, 15, 21, 22)

ए.आई.आर 2007 एस.सी 2762 ; (2011) 6 एस.सी.सी 508 ; (2022) 15 एस.सी.सी 50 - संदर्भित किया गया

2018 सीआर.एल.जे 1553 ; (2011) 12 एस.सी.सी 588 - सुभिन्न किया गया

2018 सीआर.एल.जे 1553 - सावधानी की कमी के कारण या लापरवाही से लिया गया न्यायिक निर्णय (2022) 15 एस.सी.सी 50 में किया गया।

पटना का उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी

सीएवी निर्णय

दिनांक: 10-04-2024

1. तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण, आपराधिक अपील संख्या 23/2017 में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत, 6 सितंबर, 2021 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, XVI वीं, भोजपुर, आरा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में वर्णित), जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने शिकायत वाद संख्या 175(सी)/2016 के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-VI न्यायालय, भोजपुर, आरा द्वारा पारित दिनांक 29 नवंबर, 2016 के आदेश की पुष्टि की, जो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक कार्यवाही है, जिसमें एकपक्षीय अंतरिम मौद्रिक राहत की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता को पीड़ित व्यक्ति को 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से मौद्रिक राहत और पक्षों के नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए 10,000/- रुपये प्रति माह और पक्षों के उक्त नाबालिग बेटे की शिक्षा के खर्च के मद में 25,000/- रुपये का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. अभिलेख में मौजूद सामग्री से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी पक्ष के बीच विवाह 3 फरवरी, 2012 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ था। याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत 19 मई 2016 को धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के साथ एक आवेदन दायर किया। धारा 12 के तहत उक्त आवेदन में विपक्षी पक्ष ने कहा कि उसके पति, याचिकाकर्ता द्वारा उसे लगातार धोखा दिया गया था। आवेदक/विपक्ष के वैवाहिक संबंधों ने उसका मूल पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र

और उसके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र। उन्होंने आवेदक के 15 लाख रुपये के गहने और उसके पहनने के कपड़ों का भी गबन कर लिया। आवेदक/विपरीत पक्ष ने याचिकाकर्ता और अन्य वैवाहिक संबंधों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। वे वर्तमान में विपक्षी पक्ष के पैतृक घर आरा टाउन, जिला- भोजपुर में रह रहे हैं। याचिकाकर्ता/पति ने स्थानीय गुंडों और असामाजिक तत्वों को काम पर रखा है और वे अभी भी उसे और उसके नाबालिग बेटे को धमकाते हैं जब भी वे पक्षों के नाबालिग बच्चे को स्कूल ले जाने या किसी अन्य उद्देश्य से घर से बाहर जाते हैं। तदनुसार, आवेदक/विपरीत पक्ष ने उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करके धारा 18 के तहत सुरक्षा आदेश, धारा 19 के तहत निवास आदेश, धारा 20 के तहत आर्थिक राहत, धारा 21 के तहत अपने नाबालिग बेटे की हिरासत आदेश विद्वान मजिस्ट्रेट ने 29 नवंबर, 2016 को एक आदेश पारित करके विपक्षी पक्ष के पक्ष में 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से एकपक्षीय अंतरिम मौद्रिक राहत और उसके नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए 10,000/- रुपये प्रति माह और उसके बेटे की शिक्षा के खर्च के लिए 25,000/- रुपये का एकमुश्त भुगतान पारित किया। याचिकाकर्ता/पति ने धारा 29 के तहत अपील दायर की। उक्त अधिनियम को अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

3. इसलिए, तत्काल आपराधिक संशोधन।

4. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्ष के अनुसार, उसे अपने वैवाहिक घर से भगा दिया गया था और उसके पति और उसके पति के अन्य रिश्तेदारों द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया था, अंत में 28 जनवरी, 2014 को। उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन 19 मई, 2016 को दायर किया गया था, यानी 2 साल और 3 महीने के अंतराल के बाद और इसलिए धारा 12 के तहत आवेदन को आ.द.सं. की धारा 468 के तहत सीमा द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्ष ने 3 जुलाई, 2015 को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ पठित भा.द.वि. की धारा 498ए के तहत याचिकाकर्ता और अन्य वैवाहिक संबंधों के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए 2015 का शिकायत मामला संख्या 1410 (सी) दायर किया। हालाँकि, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे पर 2016 के आपराधिक संशोधन संख्या 55 और 2016 के आपराधिक संशोधन संख्या 27 में पारित 18 मई, 2016 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा संज्ञान के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता ने आ.दं.सं. की धारा 125 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसे रख-रखाव वाद संख्या- 222/2015 के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन उक्त रख-रखाव वाद 8 दिसंबर, 2016 को वापस ले लिया गया था।

7. याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्ष ने तलाक के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसे 2016 के वैवाहिक मुकदमा संख्या 161 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे का फैसला सुनाया गया और याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष के बीच वैवाहिक संबंध को 8 सितंबर, 2017 के फैसले और 18 सितंबर, 2017 को तलाक के लिए डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया। इस प्रकार, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की तारीख से, पक्षों के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है और उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका तलाकशुदा पत्नी के कहने पर बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ***संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य*** के मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, जो ***2018 का आपराधिक संख्या- 1553*** में प्रतिवेदित किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर करने के संबंध में सीमा के बिंदु पर कानून अब और अधिक

एकीकृत नहीं है। उक्त प्रतिवेदन में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, ***इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2012 12 एससीसी 588*** में प्रतिवेदित की, पर भरोसा करते हुए कहा कि धारा 468 दं.प्र.सं. 1973 के प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है। घरेलू हिंसा नियम, 2006 के नियम 15 (6) के साथ पठित अधिनियम की धारा 28 और 32 के प्रावधानों को देखते हुए घटना बेतुकी प्रतीत होती है, जो दं.प्र.सं. के प्रावधानों को लागू करती है और अधिनियम के निर्णयों द्वारा मजबूत होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***जापानी साहू बनाम चंद्रशेखर मोहंती मामले में ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2762 और नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन बनाम नोएडा एंड ओ. आर. एस. (2011) 6 एससीसी 508*** में रिपोर्ट दी। इस प्रकार, पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित मामलों में आई. डी. 1 की धारा 468 के प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू होंगे।

9. ***संतोष कुमार*** (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 31 में संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इस तरह के उल्लंघन के लिए प्रदान किया गया दंड एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या 20,000/- रुपये तक या दोनों हो सकता है। जाहिर है, उक्त अधिनियम को आपराधिक कानून नहीं माना जाता है क्योंकि यह पीड़ित को राहत प्रदान करने से अधिक संबंधित है। हालांकि, अगर अपराधी अंतिम या अस्थायी संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसे जेल भेजा जा सकता है या 20,000/- रुपये का जुर्माना या दोनों का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

10. उक्त अधिनियम की धारा 28 में यह प्रावधान है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, धारा 12, 18 और 19, 20, 21 और 23 के तहत सभी कार्यवाही और धारा 31 के तहत अपराध सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। उक्त

अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है कि धारा 31 के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। उक्त अधिनियम में निहित उपरोक्त प्रावधानों के प्रकाश में, ***संतोष कुमार*** (सुप्रा) में इस न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन के संबंध में सीआरपीसी की धारा 468 की प्रयोज्यता पर विचार किया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 24 में समन्वय पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

> ***"24.*** *एक अन्य मामला जिस पर सुनवाई के दौरान भरोसा रखा गया था, वह था कृष्ण भट्टाचार्जी बनाम सारथी चौधरी [कृष्ण भट्टाचार्जी बनाम सारथी चौधरी, (2016) 2 एससीसी 705: (2016) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 223:(2016) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 810]उस मामले में, एक सक्षम अदालत द्वारा न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री पारित की गई थी। इसके बाद, पत्नी द्वारा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी जिसमें स्त्रीधन वस्तुओं और संबंधित राहतों को वापस करने की मांग की गई थी। पति द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि अधिनियम के तहत कार्यवाही समय से बाधित थी। दंडाधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक पृथक्करण के आदेश के परिणामस्वरूप, पक्षों का घरेलू संबंध समाप्त हो गया और इस प्रकार, कोई राहत नहीं दी जा सकती है। उससे उत्पन्न अपील को निचली अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था और अंत में पत्नी द्वारा किए गए संशोधन को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।"*

11. याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय सी. आर. की ओर से भी इसका प्रतिवाद किया गया है। कि दोनों पक्षों के बीच विवाह को 18 सितंबर, 2017 को तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया था। एक तलाकशुदा पत्नी उक्त अधिनियम की धारा 12 के

तहत आवेदन दायर नहीं कर सकती है क्योंकि उन दो व्यक्तियों के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है जिनकी शादी तलाक की डिक्री द्वारा भंग हो जाती है।

12. धारा 18,19,20,21 और 23 के तहत राहत के लिए उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन के संबंध में धारा 468,469 और 470 की प्रयोज्यता के बारे में कानून का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कामची बनाम लक्ष्मी नारायण, (2022) 15 एस. सी. सी. 50*** में किया गया है। इस प्रतिवेदन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि धारा 468 आदेश देती है कि अपराध के होने से एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का आह्वान करके, एक शिकायतकर्ता को पूर्वाग्रह में नहीं डाला जाना चाहिए, यदि अभियोजन एजेंसी या शिकायतकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों के लिए, संज्ञान सीमा की अवधि के बाद लिया गया था।

13. यह भी माना गया है कि अध्याय XXXVI आ.प्र.सं. में निहित विभिन्न प्रावधानों का संचयी वाचन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसमें निर्धारित सीमा केवल शिकायत दर्ज करने या अभियोजन शुरू करने के लिए है, न कि संज्ञान लेने के लिए। यह निश्चित रूप से न्यायालय को किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है जहां किसी अपराध के संबंध में सीमा अवधि के बाद शिकायत दर्ज की जाती है, या तो अपराध की तारीख से या उस तारीख से शुरू होगी जब अपराध का पता चला हो। यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है कि धारा 18, 19, 20, 21 और 23 के तहत राहत और राहत के प्रयोजन के लिए, धारा 12 के तहत आवेदन आ.प्र.सं. की धारा 2(d) के अर्थ में शिकायत नहीं है। उक्त अधिनियम धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश का अनुपालन न करने के लिए धारा 31 में अपराध के बारे में बोलता है। उक्त अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत शिकायत के संबंध में लागू होगा, न कि धारा 12 के तहत आवेदन के संबंध में।

व्यावहारिक रूप से, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने की कोई सीमा नहीं है।

14. ***कामची*** (ऊपर) में, धारा 12 के तहत आवेदन कथित घरेलू हिंसा के 10 साल बाद दायर किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदन को सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है और यह विचारण न्यायालय को इस प्रश्न के संबंध में विचार करना है कि क्या पीड़ित व्यक्ति इस तरह के विलंबित आवेदन के लिए कोई राहत पाने का हकदार है या नहीं।

15. तत्काल मामले में, विरोधी पक्ष ने उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत 19 मई, 2016 को आवेदन। उनकी शादी 18 सितंबर 2017 को और उससे टूट गई थी। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख को, याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष के बीच घरेलू संबंध थे। 28 जनवरी, 2014 के बीच की अवधि के दौरान या उससे पहले भी 3 फरवरी, 2012 को संपन्न हुई उसकी शादी के बाद 17 सितंबर, 2017 तक घरेलू हिंसा करने के आरोप के लिए, विरोधी पक्ष याचिकाकर्ता के साथ घरेलू संबंध और अन्य वैवाहिक संबंधों में था। यदि तथ्यों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि उक्त अवधि के दौरान वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी, तो विरोधी पक्ष उस अवधि के लिए राहत पाने का हकदार है जब पक्षों के बीच घरेलू संबंध मौजूद थे।

16. ***इंदरजीत सिंह ग्रेवाल*** *(ऊपर)* का निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं है क्योंकि उक्त रिपोर्ट में, पक्षों के बीच विवाह को 28 मार्च, 2008 के निर्णय और डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया था। इसके बाद, पत्नी ने 4 मई, 2009 को उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दिया। तत्काल मामले में, तलाक के लिए डिक्री पारित होने से पहले उक्त अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया गया है।

17. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ***संतोष कुमार*** (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है और ***कामाची*** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अब इसे एक अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है।

18. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यह न्यायालय मानता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है और आवेदन बनाए रखने योग्य है, क्योंकि आवेदन की तारीख पर पक्षों के बीच घरेलू संबंध थे।

19. कानून के उपर्युक्त प्रश्नों के अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने 29 नवंबर, 2016 को 2016 के शिकायत मामला संख्या 756 (सी) में पारित आदेश की वैधता, वैधता और औचित्य के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है, जिसमें विरोधी पक्ष और पक्षों के बेटे को अंतरिम मौद्रिक राहत दी गई है। याचिकाकर्ता ने 2017 की आपराधिक अपील संख्या 23 में अपील न्यायालय के निष्कर्ष के संबंध में कोई तथ्यात्मक विवाद भी नहीं उठाया है।

20. हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि विरोधी पक्ष 7 सितंबर, 2017 तक, यानी विरोधी पक्ष द्वारा दायर तलाक के मुकदमे के फैसले के वितरण से पहले की तारीख तक, अंतरिम मौद्रिक राहत प्राप्त करने का हकदार है।

21. हालाँकि, याचिकाकर्ता का दायित्व के अधीन है। उनके नाबालिग बच्चे को उसी दर पर अंतरिम मौद्रिक राहत का भुगतान करना जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा तय किया गया है।

22. तत्काल संशोधन का तदनुसार उपरोक्त आदेश के साथ निपटारा किया जाता है।

23. हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(बिबेक चौधरी, जे)

उत्तम/स्किम-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।